PRESS NOTE OF TARIFF ORDER FOR NPCL FOR FY 2026-27

Dated: 02.07.2026

- ***UPERC declares Electricity Tariff Rates for NPCL for FY 2026-27 in accordance with UPERC (Multi Year Tariff for Distribution) Regulations, 2025***
- ***Consumers of NPCL will continue to get a 10% regulatory discount***
- ***Keeps the Tariff rates payable by all consumer categories unchanged for 7th consecutive year***
- ***Green Energy additional Tariff also remains unchanged; Rs 0.34 per unit for HV category consumers and Rs. 0.17 per unit for LV category consumers which is same as last year.***
- ***To promote EV charging infrastructure, Single part Tariff under LMV-11 made applicable to Battery Swapping Stations and Battery as a Service providers***
- ***TOD Tariff provided for LMV-11- Tariff during Solar Hours (9AM-4PM) to be 20% lower to promote battery charging during daytime and promote consumption of RE power***

The Tariff Order of NPCL comprising of True-up of FY 2024-25, Annual Performance Review (APR) of FY 2025-26 and Annual Revenue Requirement (ARR) of FY 2026-27 has been finalized by the UPERC after taking into consideration the objections, comments & suggestions of the stakeholders, public and the State Advisory Committee. Important features of the Tariff Order are as below:

True up for FY 2024-25

Keeping in view the MYT Regulations, 2019, the Commission in the True up for NPCL has approved the following:

Particulars	NPCL	
	Claimed	Approved
Distribution Loss (%)	7.48%	7.48%
Power Purchase at NPCL Periphery (MUs)	3,888.46	3,888.46
Net ARR (Rs. Cr.)	2,938.44	2,815.06
Revenue from Existing Tariff	2,634.60	2,634.60

ARR for FY 2026-27

Keeping in view the MYT Regulations, 2025, the Commission in the ARR for FY 2026-27 for NPCL has approved the following:

Particulars	NPCL	
	Claimed	Approved
Distribution Loss (%)	6.97%	6.97%
Power Purchase at NPCL Periphery (MUs)	4,729.49	4,729.49
Net ARR (Rs. Cr.)	3,481.82	3,511.33
Revenue from Existing Tariff	3,192.04	3,192.04

As a result of this there will be a Regulatory Gap of Rs. 319.29 Crore for FY 2026-27 for the NPCL. However, considering that there is a projected accumulated Regulatory Surplus of Rs 73.34 Crore as on 01.04.2026 with NPCL, **Commission has therefore not found much justification for increase in tariff rates for FY 2026-27.**

Other Salient features of Tariff Order for FY 2026-27:

1. TOD time periods for LMV-6 and HV-2 category continue to remain the same as last year.
2. Cross Subsidy Surcharge of Open Access Consumers have been further rationalised and reduced for some categories.
3. Average Cost of Supply projected for FY 2026-27 is Rs. 7.98 /KWh whereas Average Billing Revenue is projected to be Rs. 7.25 /KWh.
4. Recognising the emerging business models of EV Public Charging Infrastructure, Commission has included Battery as a Service (BaaS) and Battery Swapping Stations as an eligible category for availing Single Part Tariff under LMV-11 category. Also to incentivise the use of charging infrastructure during daytime when the cheaper solar power can be consumed, Commission has introduced TOD Tariff structure for LMV-11 by providing a rebate of 20% during solar hours (from 9AM-4PM). The Commission expects that this rebate will be passed on to ultimate consumers by EV charging infra service providers.

The Tariff Order shall be in force after seven days from the date of publication by the licensee in at least two Hindi and two English Daily newspapers.

The Tariff Order has been uploaded at www.uperc.org.

Sumeet Kumar Agarwal
Secretary

Sumeet Kumar Agarwal
Secretary
U.P Electricity Regulatory Commission
Vidyut Niyamak Bhawan
Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow-226010

वित्त वर्ष 2026-27 हेतु एनपीसीएल के टैरिफ आदेश की प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 02.07.2026

- ***यूपीईआरसी ने यूपीईआरसी (वितरण हेतु बहु-वर्षीय टैरिफ) विनियम, 2025 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 हेतु एनपीसीएल के लिए विद्युत दरें घोषित कीं***
- ***एनपीसीएल के उपभोक्ताओं को 10% regulatory discount मिलता रहेगा***
- ***सभी उपभोक्ता श्रेणियों हेतु देय दरें लगातार 7 वें वर्ष अपरिवर्तित रखी गई हैं***
- ***ग्रीन एनर्जी अतिरिक्त टैरिफ भी अपरिवर्तित है- एचवी श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु रु. 0.34 प्रति यूनिट तथा एलवी श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु रु. 0.17 प्रति यूनिट, जो पिछले वर्ष के समान ही है।***
- ***ईवी चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ावा देने हेतु, एलएमवी-11 के अंतर्गत सिंगल पार्ट टैरिफ को बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों तथा बैटरी ऐज़ अ सर्विस (BaaS) प्रदाताओं पर लागू किया गया है***
- ***एलएमवी-11 हेतु टीओडी टैरिफ प्रदान किया गया- दिन के समय बैटरी चार्जिंग को बढ़ावा देने तथा नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) की खपत को प्रोत्साहित करने हेतु सौर घंटों (प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक) के दौरान टैरिफ 20% कम रहेगा***

एनपीसीएल का टैरिफ आदेश, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 का ट्रू-अप, वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर) तथा वित्त वर्ष 2026-27 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) सम्मिलित है, हितधारकों, जनता तथा राज्य सलाहकार समिति की आपत्तियों, टिप्पणियों एवं सुझावों पर विचार करने के पश्चात यूपीईआरसी द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। टैरिफ आदेश की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

वित्त वर्ष 2024-25 हेतु ट्रू-अप

एमवाईटी विनियम 2019 को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने एनपीसीएल के ट्रू-अप में निम्नलिखित को अनुमोदित किया है:

विवरण	एनपीसीएल	
	दावाकृत	अनुमोदित
वितरण हानि (%)	7.48%	7.48%
एनपीसीएल परिधि पर विद्युत क्रय (एमयू)	3888.46	3888.46
निवल एआरआर (रु. करोड़)	2,938.44	2,815.06

विद्यमान टैरिफ से राजस्व	2,634.60	2,634.60

<u>वित्त वर्ष 2026-27 हेतु एआरआर</u>

एमवाईटी विनियम, 2025-26 को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने एनपीसीएल के वित्त वर्ष 2026-27 के एआरआर में निम्नलिखित को अनुमोदित किया है:

विवरण	एनपीसीएल	
	दावाकृत	अनुमोदित
वितरण हानि (%)	6.97%	6.97%
एनपीसीएल परिधि पर विद्युत क्रय (एमयू)	4729.49	4729.49
निवल एआरआर (रु. करोड़)	3,481.82	3,511.33
विद्यमान टैरिफ से राजस्व	3,192.04	3,192.04

इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2026-27 हेतु एनपीसीएल के लिए रु. 319.29 करोड़ का विनियामक अंतराल होगा। तथापि, यह देखते हुए कि 01.04.2026 को एनपीसीएल के पास रु. 73.34 करोड़ का अनुमानित संचित विनियामक अधिशेष है, आयोग को वित्त वर्ष 2026-27 हेतु टैरिफ दरों में वृद्धि का अधिक औचित्य नहीं मिला है।

<u>वित्त वर्ष 2026-27 हेतु टैरिफ आदेश की अन्य प्रमुख विशेषताएं:</u>

1. टीओडी टैरिफ श्रेणियां तथा समयावधियां पिछले वर्ष के समान ही बनी रहेंगी।
2. ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं हेतु क्रॉस सब्सिडी अधिभार को और युक्तिसंगत बनाया गया है तथा कुछ श्रेणियों के लिए इसे कम किया गया है।
3. वित्त वर्ष 2026-27 हेतु प्रक्षेपित औसत आपूर्ति लागत रु. 7.98 प्रति किलोवाट-घंटा है, जबकि औसत बिलिंग राजस्व रु. 7.25 प्रति किलोवाट-घंटा प्रक्षेपित है।
4. ईवी सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के उभरते व्यावसायिक मॉडलों को मान्यता देते हुए, आयोग ने बैटरी ऐज़ अ सर्विस (BaaS) तथा बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों को एलएमवी-11 श्रेणी के अंतर्गत सिंगल पार्ट टैरिफ हेतु पात्र श्रेणी के रूप में सम्मिलित किया है। साथ ही, दिन के समय जब सस्ती सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है, चार्जिंग अवसंरचना के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु आयोग ने सौर घंटों (प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक) के दौरान 20% की छूट प्रदान करते हुए एलएमवी-11 हेतु टीओडी टैरिफ

संरचना लागू की है। आयोग को अपेक्षा है कि यह छूट ईवी चार्जिंग अवसंरचना सेवा प्रदाताओं द्वारा अंतिम उपभोक्ताओं को हस्तांतरित की जाएगी।

टैरिफ आदेश, लाइसेंसधारी द्वारा कम से कम दो हिंदी तथा दो अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से सात दिन पश्चात प्रभावी होगा।

टैरिफ आदेश www.uperc.org पर अपलोड कर दिए गए हैं।

सुमीत कुमार अग्रवाल

सचिव

सुमीत कुमार अग्रवाल
सचिव
उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग
विद्युत नियामक भवन
विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ–226010